(भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख : 10/05/2017

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विलिंगडन अस्पताल एवं नर्सिंग होम (वर्ग।।। पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध लेखाकार (कनिष्ठ)/यूडीसी/स्टोरकीपर एवं एलडीसी/स्टोर लिपिक/एलडीसी सह स्टोरकीपर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक एवं उच्च श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, अवर श्रेणी लिपिक एवं उच्च श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2017 है |

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं|

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि** - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी|

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व कर्मचारियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है|

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अवर श्रेणी लिपिक	89* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स 19900-63200 रु. में लेवल 2	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच। (आयु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदकों के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख रोजगार कार्यालय से नाम प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: (1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष अर्हता; और (2) कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षण: (क) अंग्रेजी में टंकण गति 35 शब्द प्रति मिनट (ख) हिंदी में टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट का आशय प्रत्येक शब्द के लिए 5 बटन दबाने के औसत से 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच से है)	हां, स्तंभ (10) में दर्शाई गई सीमा तक।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 10% रिक्तियां 1800 रु. ग्रेड वेतन वाले ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी जो 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष अर्हता रखते हों तथा जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा चालीस वर्ष और अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के मामले में पचास वर्ष है। टिप्पण: यदि ऐसे परीक्षा में अर्हताप्राप्त कर्मचारियों की संख्या खंड (ii) के तहत उपलब्ध रिक्तियों से अधिक हो, तो उन अतिरिक्त कर्मचारियों पर आने वाले वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर चुके कर्मचारियों पर परवर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों से पहले विचार किया जा सके। (iii) 5% रिक्तियां ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से भरी जाएंगी जिन्होंने 1800 रु. ग्रेड वेतन वाले पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
स्तंभ (10) में दर्शाए अनुसार।	(पुष्टि के लिए विचार करने हेतु) समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष 2. चिकित्सा अस्पताल अनुभाग का प्रभारी उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. उप निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य (पदोन्नति के लिए) समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष 2. चिकित्सा अस्पताल अनुभाग का प्रभारी उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. उप निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य	लागू नहीं होता।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. उच्च श्रेणी लिपिक	52* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स 25500-81100 रु. में लेवल 4	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	शून्य	पदोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)

पदोन्नति:

वेतन मेट्रिक्स 19900-63200 रु. में लेवल 2 के ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों में से, जिन्होंने उस ग्रेड में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण-1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति:

केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त शोध संस्थानों के ऐसे अधिकारी -

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, अथवा

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200/रु. + 1800 रु. ग्रेड वेतन में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो, और

(ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों:

(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष अर्हता; और

(2) कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षण:

(क) अंग्रेजी में टंकण गति 35 शब्द प्रति मिनट

(ख) हिंदी में टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट

(35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट का आशय प्रत्येक शब्द के लिए 5 बटन दबाने के औसत से 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच से है)

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
(पुष्टि के लिए विचार करने हेतु) समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष 2. चिकित्सा अस्पताल अनुभाग का प्रभारी उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. उप निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य (पदोन्नति के लिए) समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष 2. चिकित्सा अस्पताल अनुभाग का प्रभारी उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. उप निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य	लागू नहीं होता।

[ए.11018/54/2016-एमएच-II]

(संजय पंत)
अवर सचिव, भारत सरकार